आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि लैंसडाउन चौक के निकट रेंजर्स ग्राउण्ड में रविवार वीकली, बाजार के संचालन किये जाने की स्थिति में बड़ी मात्रा में आम जनमानस के उक्त स्थल पर आने एवं वाहनों के यत्र–तत्र पार्क किये जाने की स्थिति से आम जन–मानस का यातायात प्रभावित होता है तथा लैंसडाउन चौक, दर्शन लाल चौक, बुद्धा चौक, दून अस्पताल चौक, क्रॉस रोड तिराहा/चौराहा क्षेत्रों में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही दून मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय में रोगी वाहनों एवं बीमारजनों का आवागमन प्रभावित होता है। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक एस0टी0– एस0एस0पी0–05/2025 दिनांक 10.12.2025 में उल्लेख किया गया है कि रेन्जर्स ग्राऊण्ड के समीप देहरादून का मुख्य अस्पताल दून अस्पताल स्थित है, जहां लगातार बीमार व्यक्तियों तथा एम्बूलेन्स का आवागमन बना रहता है साथ ही उक्त ग्राउण्ड के समीप शहर के मुख्य मार्ग/तिराहा/चौराहा/विभिन्न कार्यालय अवस्थित है। यदि उक्त मेले के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका खामियांजा आम नागरिको के साथ–साथ बीमार व्यक्तियों को भी उठाना पडता हैं। जिस कारण सार्वजनिक परिवहन तथा आवश्यक सेवाओं को निर्बाध रुप से संचालित किये जाने के दृष्टिगत रविवार वीकली बाजार कल्याण समिति द्वारा रेन्जर्स ग्राउण्ड में लगाये जा रहे रविवार वीकली बाजार को निरस्त तथा आयोजक को शहर के किसी अन्य स्थान पर रविवार बाजार लगाये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

साथ ही रविवार वीकली बाजार हेतु दिनांक 12.12.2025 को आहूत बैठक के सम्बन्ध में चर्चा उपरान्त जिलाधिकारी, महोदय देहरादून द्वारा निर्गत कार्यवृत्त/आदेश के आलोक में मेरा यह समाधान हो गया है कि लोक हित में रविवार वीकली बाजार के रेंजर्स ग्राउण्ड बाजार संचालन पर रोक लगाते हुए अन्यत्र स्थल पर स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से रविवार वीकली बाजार के संचालन को आई0एस0बी0टी0, देहरादून पर चयनित/चिहिन्त स्थल पर स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक एवं समीचीन हैं।

अतः मैं नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की अन्तर्गत धारा 163(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक परिवहन तथा आवश्यक सेवाओं को निर्बाध रुप से संचालित किये जाने के दृष्टिगत रविवार वीकली बाजार के संचालन को आई0एस0बी0टी0 देहरादून के समीप उत्तराखण्ड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण, निगम लिमिटेड की भूमि, जो उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1-103799/V-1/E-35927-2022/2023 दिनांक 02.03.2023 द्वारा देहरादून में नियो परियोजना के लिये उत्तराखण्ड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड को लीज पर हस्तान्तरित भूमि, जो वर्तमान में मौके पर खाली है, जो वर्तमान में एम0डी0डी0ए0 के कब्जे एवं नियन्त्रण में है, पर जब तक मेट्रो परियोजना हेतु कोई वास्तविक कार्य प्रारम्भ न हो जाए तब तक रविवार बाजार को उक्त स्थान पर संचालन किये जाने के आदेश निर्गत करता हूँ।

(प्रत्यूष सिंह)
नगर मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून

संख्याः– 234 / ~~सैक्टर~~ न0 सदर / न0मजि0 / संचालन / 2025–26 दिनांकः–23.12.2025

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून महोदय को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ।
5. अपर जिलाधिकारी (प्र0) / (वि0 / रा0) देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड मैट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड देहरादून।
7. उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड मेट्रो नियो परियोजना देहरादून।
9. उप नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को सूचनार्थ।
10. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ।
11. अधिशासी अभियन्ता, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को सूचनार्थ
12. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ।

नगर मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

सेवा में,

Scanned with OKEN Scanner